(30)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 155-दो/1990 विरूद्ध आदेश दिनांक 02-05-1990 पारित द्वारा अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर, प्रकरण क्रमांक 312/1983-84/अपील ।

परसराम पिता दौलतराम
निवासी राजपुर मोहल्ला बुरहानपुर जिला खंडवा

.....आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन
द्वारा कलेक्टर जिला पूर्व निमाड़
जिला खडंवा

.....अनावेदक

श्री पी0जी0पाठक, अभिभाषक-आवेदक
श्री हेमन्त मूंगी, अिभभाषक-अनावेदक शासन

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 1/8/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02-05-1990 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि नजूल सर्वेयर के प्रतिवेदन दिनांक 10-8-1988 के आधार पर आवेदक द्वारा खुली जमीन नजूल पर 11 वर्गफीट में सेप्टीक टेंक का निर्माण किया गया है और 23 फीट लम्बी नाली डाली गई है जिसके कारण कुल 34 वर्गफीट पर अतिक्रमण किया गया है । नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज कर एकपक्षीय आदेश पारित किया गया जिसकी अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया । नायब तहसीलदार द्वारा आवेदक को सुनवाई का अवसर देकर दिनांक 29-4-1983 को आदेश पारित किया और आवेदक द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया होना प्रमाणित पाया जाने से बेदखली के आदेश दिये गये । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 12-3-1984 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय के आदेश की पुष्टि की जाकर आवेदक पर 2500/- रूपये का अर्थदण्ड भी आरोपित किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 02-05-1990 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की जाकर अपील खारिज की गई ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस ओर विचार नहीं किया गया कि आवेदक द्वारा वर्ष 1975 में उक्त भूमि के समीप ही मकान खरीदा था, उस समय के पूर्व से उक्त भूमि पर पूर्व मकान मालिक तथा उसके पश्चात् आवेदक का आधिपत्य चला आ रहा है । यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस ओर भी ध्यान नहीं दिया गया कि नायब तहसीलदार के समक्ष प्रचलित प्रकरण स्थगित किये जाने के आदेश दिये गये थे, इसके विपरीत नायब तहसीलदार द्वारा उक्त स्थगन आदेश को नजरअंदाज कर जो आदेश पारित किया है, वह अवैध होकर

निरस्त किये जाने योग्य है। तर्क में यह भी कहा गया कि आवेदक द्वारा जो सेप्टीक टैंक बनाया गया है वह अन्डर ग्राउण्ड है तथा उसके निर्माण से आवागमन अथवा आसपास के लोगो को कोई कठिनाई नहीं होगी इसलिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। तर्क में यह भी कहा गया कि नजूल अधिकारी बुरहानपुर द्वारा व्यवस्थापन की कार्यवाही की जा रही थी उसके पूर्व ही उसे उक्त भूमि से बेदखल करने का आदेश देने में त्रुटि की गई है । उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदक शासन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यही कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित समवर्ती आदेशों में हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं होने से एवं अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाकर निगरानी निरस्त की जाये ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि नजूल सर्वेयर की रिपोर्ट पर से नायब तहसीलदार द्वारा दिये गये सूचना पत्र के उत्तर में आवेदक ने दिनांक 26-10-1982 को अपने उत्तर में यह कथन किया था कि वादग्रस्त स्थान 1956 में उसके द्वारा खरीदा गया था और इस आधार पर उन्होंने कार्यवाही निरस्त करने की मॉग की थी, इसके पश्चात् दिनांक 7-7-1983 को आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में यह स्वीकार किया है कि उसके द्वारा बनाये गये सेप्टीक टैंक का कुछ भाग नजूल भूमि में निकल गया है, जिसको आवंटित करने के लिये आवेदक द्वारा नजूल अधिकारी के समक्ष आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया ।. इस प्रकार जहॉ तक अतिक्रमण होने का प्रश्न है वह तो आवेदक द्वारा स्वीकार किया गया है, परन्तु आवेदक ने केवल सेप्टीक टैंक पर अतिक्रमण होना स्वीकार किया है जबकि नाली के कारण अतिक्रमण 23 वर्गफीट पर है,

उसके संबंध में कथन नहीं किया है । प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि आवेदक के द्वारा 23 वर्गफीट पर अतिक्रण होना प्रमाणित है । अतः अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा आवेदक को प्रश्नाधीन भूमि से बेदखल करने एवं अर्थदण्ड अधिरोपित करने की कार्यवाही करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । इस संबंध में 2012 आर.एन. 438 तुलसीदास विरूद्ध सालिगराम में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:-

"धारा 50-तीनों निचले न्यायालयों के एक ही निष्कर्ष-पुनरीक्षण में हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं।"

इसी प्रकार 1982 आर.एन. 36 रामाधार विरूद्ध आनन्द स्वरूप तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादेत किया गया है:-

"धारा 50-समवर्ती निष्कर्ष-अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में कोई अवैधानिकता या अनियमितता नहीं-पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए ।"

उपरोक्त न्यायदृष्टांत के प्रकाश में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02-05-1990 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर